टी बोर्ड भारत

14, बी.टी.एम. सरणी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता-**700001**

14 B. T. M. Sarani (Brabourne Road), Kolkata 700001

www.teaboard.gov.in

दिनांक 23.02.2026

कार्यालय आदेश सं.08/2026

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि टी बोर्ड उप-नियम, 1955 के उप- नियम 45 और 46 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, टी बोर्ड के उपाध्यक्ष ने बोर्ड के कार्यों की तात्कालिकता और प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए, "चाय के नमूनों की गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करने, उन्हें लेने और उनकी जांच करने" के अंतर्गत प्रयोगशाला को जांच शुल्क/ व्यय के भुगतान हेतु, नीचे उल्लिखित कार्यालय और उनके प्रभारी को निम्नलिखित वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है।

1. क्षेत्रीय कार्यालय, सिलीगुड़ी: उप निदेशक, चाय विकास (पी) को क्षेत्रीय कार्यालय, सिलीगुड़ी के अंतर्गत बोर्ड के अधिकारियों द्वारा एकत्रित चाय के नमूनों की जाँच से संबंधित प्रयोगशाला शुल्कों को स्वीकृत करने और उनका भुगतान करने हेतु वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए हैं।

2. क्षेत्रीय कार्यालय, पालमपुर: फैक्ट्री सलाहकार अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, पालमपुर के अंतर्गत बोर्ड के अधिकारियों द्वारा एकत्रित चाय के नमूनों की जाँच से संबंधित प्रयोगशाला शुल्कों को स्वीकृत करने और उनका भुगतान करने के लिए अधिकृत हैं।

इसके अलावा, यह आदेश 01.04.2026 से प्रभावी होगा, और इन प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग बजट प्रावधानों की उपलब्धता तथा सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) और बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी मौजूदा दिशानिदेशों व निदेशों का सख्ती से से पालन होगा।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

अमृता

(डॉ. अमृता चक्रवर्ती)
सचिव (प्रभारी)

वितरण:-

1.	उ नि चा वि, सिलीगुड़ी	
2.	फै.स.अ. पालमपुर	
3.	मुख्यालय, में सभी विभागाध्यक्ष (उपाध्यक्ष को छोड़कर)	
4.	कार्यकारी निदेशक, कून्नूर एवं गुवाहाटी	
5.	उपाध्यक्ष, वि स एवं मु ले अ/नि चा वि/सचिव के निजी सहायक	
6.	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
7.	उप निदेशक (राजभाषा)	कृपया हिंदी अनुवाद के लिए।
8.	फ़ा.ल सं.एलसी--आरईजीएल0टीएसएमपी/2/2026-अनुज्ञापन	रिकार्ड के लिए।
9.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियां सहित।

फ़ाइल सं.एलसी--आरईजीएल0टीएसएमपी/2/2026-अनुज्ञापन